

न्यायालय- ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्र.क.क.- 816/2011)

(संस्थित दिनांक :17.10.11)

म.प्र. राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र-

गोहद जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन

// विरुद्ध //

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | रामनिवास पुत्र हरगोविंद बघेल उम्र 35 साल
निवासी वार्ड क0-2 गोहद | -----अभियुक्त |
| 2. | बल्ली उर्फ ब्रजेश पुत्र राधामोहन शर्मा उम्र 40 वर्ष
निवासी सती बाजार गोहद | -पूर्व से निराकृत |
| 3. | नरेश पुत्र बटुरीसिंह यादव उम्र 40 साल
निवासी यादव मौहल्ला गोहद | -पूर्व से निराकृत |
| 4. | भूरे पुत्र ओलिका खां उम्र 40 साल
निवासी लक्ष्मण तलैया गोहद, वार्ड क0 5 | -पूर्व से निराकृत |
| 5. | इज्जतभाई पठान पुत्र नूर खां उम्र 50 साल
निवासी नूरगंज गोहद | -पूर्व से निराकृत |
| 6. | शैलेन्द्रसिंह पुत्र सोबरनसिंह भदौरिया उम्र 50 साल
निवासी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 | -पूर्व से निराकृत |

..... अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 08.11.2016 को घोषित)

अभियुक्त पर भा.द.सं. की धारा 147 एवं 506 भाग-1 के अन्तर्गत आरोप हैं कि उसने दि0 17.04.10 को समय 19:30 बजे स्थान एस0डी0एम0 के शासकीय आवास का मैन गेट गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होते हुए आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा एस0डी0एम0 गोहद को आतंकित कर बलवा कारित किया तथा निरंतर प्रदर्शन की धमकी दे कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 24.10.16 को अभियुक्त रामनिवास के अनुपस्थित होने के कारण उसका विचारण प्रथक किया जाकर शेष अभियुक्तगण के विरुद्ध निर्णय पारित कर अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया गया था। अभियुक्त रामनिवास के उपस्थित होने पर उसके संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद की ओर से एक पत्र दिनांक 21.04.2010 को जिला अध्यक्ष को लिखित पत्र इस आशय का प्रेषित किया गया

कि दिनांक 17.04.2010 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा युवा व्यापारी संजीव गुप्ता की हत्या एवं लूट के विरोध में गोहद नगर को बंद रखा तथा ब्लॉक मजदूर कांग्रेस कमेटी गोहद की अगुवाई में मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। शाम 7:30 बजे एसडीएम आवास को घेर कर प्रदर्शन किया। उद्वेलित एवं आक्रोशित भीड़ द्वारा आवास के मैन गेट पर हाथ पटकें गए तथा उनके द्वारा चेतावनी दी गयी कि पुनः प्रदर्शन किया जावेगा तथा एसडीएम आवास और पुलिस थाने में आग लगा दी जावेगी, यदि उनकी मांगें नहीं मानी गयी तो प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। उक्त प्रदर्शन में नामजद इज्जतभाई पठान, ब्लॉक मजदूर कांग्रेस कमेटी गोहद, शैलेन्द्र सिंह भदौरिया, पी0एन0 भट्टेले एड0, नरेशसिंह यादव, रामनिवास बघेल, भूरे खां, ब्रजेश कुमार व अन्य लगभग सौ व्यक्तियों की भीड़ द्वारा प्रदर्शन किए जाने का उल्लेख किया गया। उक्त ज्ञापन के आधार पर अप0क0-74/2010 पंजीबद्ध किया गया। नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. अभियुक्त को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा। दप्रस की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष होने तथा रंजिशन झूठा फंसाए जाने का कथन किया।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

1-क्या दिनांक 17.04.10 को समय 19:30 बजे स्थान एस0डी0एम0 के शासकीय आवास के मैन गेट गोहद में सामान्य आशय के अग्रशरण में आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा एस0डी0एम0 गोहद को आतंकित कर बलवा कारित किया ?

2-क्या अभियुक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य था ?

3-क्या उक्त दिनांक, समय तथा स्थान पर अभियुक्त ने निरंतर प्रदर्शन की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 3 पर सकारण निष्कर्ष //

06. अभियोजन की ओर से प्रकरण में नारायण बाथम आ0सा0 1, रघुवीर आ0सा0 2, केशवदत्त शर्मा आ0सा0 3, के0एस0 तोमर आ0सा0 4, एस0के0 दुबे आ0सा0 5 को परीक्षित कराया गया, जबकि अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

07. फरियादी एस0के0दुबे आ0सा0 5 तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी यह कथन करते हैं कि वे दिनांक 17.04.2010 को गोहद में एसडीएम के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को व्यापारी संजीव गुप्ता की हत्या एवं लूट के विरोध में गोहद नगर को बंद किया था उसके बाद कांग्रेस कमेटी द्वारा मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया जा रहा था। शाम 7:30 बजे आवास को घेर कर प्रदर्शन

किया और धमकी दी कि यदि आरोपी जल्दी नहीं पकड़े गए तो एसडीएम आवास और थाने में आग लगा देंगे। इसके बाद हल्ला गुल्ला होता रहा। जब साक्षी ने कहा कि अपराधी पकड़े जायेंगे आप हल्ला गुल्ला मत करो तो सभी गिरफ्तारी व लूटी हुई रकम बरामद किए जाने तक हम्मालों व मजदूर यूनियन की हड़ताल जारी रखने की बात कही और शासकीय कार्यालय को सील कर देने की बात कही। साक्षी द्वारा उक्त घटना के संबंध में जिला दण्डाधिकारी महोदय को पत्र लेख किया जाना जिसकी एक प्रति थाना प्रभारी गोहद को व एक प्रति पुलिस अधीक्षक भिण्ड को दिए जाने का कथन करते हैं, आवेदन प्र०पी० 10 ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में यह साक्षी घटना दिनांक 17.04.2010 की घटना के संबंध में प्र०पी० 10 का पत्र दिया जाना दिनांक 21.04.10 को बताते हैं। प्रतिपरीक्षण में अभियुक्तगण द्वारा साक्षी/फरियादी के अनुविभागीय दण्डाधिकारी रहते समय उसके आवास को घेरकर शोर शराबा करने तथा एसडीएम आवास व थाने में आग लगा देंगे और प्रदर्शन निरंतर जारी रखें, के संबंध में प्रतिपरीक्षण में घटना को चुनौती नहीं दी गयी है। यद्यपि नारायण अ०सा० 1 रघुवीर अ०सा० 2 द्वारा घटना का समर्थन नहीं किया गया है किन्तु फरियादी द्वारा पदीय कर्तव्य के निर्वहन में घटना की सूचना दिया जाना युक्तियुक्त रूप से अविश्वास का कोई आधार नहीं दर्शाता है। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 17.04.10 को अनुविभागीय दण्डाधिकारी आवास पर 7:30 बजे भीड़ द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में एकत्रित होकर शासकीय आवास को घेरकर प्रदर्शन व चेतावनी देकर बलवा कारित किया।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 पर सकारण निष्कर्ष //

08. प्रकरण में फरियादी एस०के० दुबे अ०सा० 5 के प्र०पी० 10 के आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण की समस्त कार्यवाही की गयी है। प्र०पी० 10 के आवेदन पत्र में इज्जत भाई पठान, शैलेन्द्रसिंह भदौरिया, पी०एन० भट्टेले, नरेशसिंह यादव, रामनिवास बघेल, भूरे खां तथा ब्रजेश कुमार व अन्य सौ व्यक्तियों द्वारा बलवा कारित किए जाने और विधि विरुद्ध जमाव जिसका उद्देश्य लोक सेवक जो कि विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग कर रहा हो, उसे आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना व शासकीय संपत्ति को क्षतिकारित करने का था, के संबंध में आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है। उक्त प्रदर्श पी-10 में उल्लेखित व्यक्तियों में से श्री पी०एन० भट्टेले एड० का नाम प्रथक किए जाने के संबंध में एस०के० दुबे अ०सा० 5 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन किया गया है। अभियोगपत्र में श्री पी०एन० भट्टेले का नाम प्रथक किए जाने के संबंध में ज्ञापन क्र० क्यू/एसडीएम/एस०टी / 10/646 दिनांक 26.04.10 का नगर निरीक्षक थाना गोहद के नाम भेजा गया ज्ञापन संलग्न हैं जिसके आधार पर पी०एन० भट्टेले अभिकथित रूप से 100 लोगों के विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य नहीं होने से नाम प्रथक किए जाने का तथ्य अभिलेख पर है।

09. साक्षी एस०के०दुबे जिनके द्वारा शेष अभियुक्तगण जो इस प्रकरण में अभियोजित हैं, उनमें से अभियुक्त बल्ली उर्फ बजेश का नाम हटाए जाने का आवेदनपत्र दिया जाना प्रतिपरीक्षण की कण्डिका

4 में स्वीकार किया है। यद्यपि उक्त आवेदन की मूल प्रकरण में नहीं हैं परंतु छायाप्रति को देखकर इस साक्षी द्वारा स्मृति ताजाकर यह तथ्य प्रकट किया कि अभियुक्त बल्ली उर्फ ब्रजेश का नाम हटाने के लिए आवेदनपत्र उन्होंने दिया था, जबकि अभियुक्त बल्ली उर्फ ब्रजेश अभियोजित है। ऐसे में अनुसंधान की निष्पक्षता प्रश्नचिन्हित होती है।

10. प्रकरण में फरियादी एस0के0 दुबे अ0सा0 5 के अतिरिक्त अन्य अभियोजन साक्षी द्वारा अभियुक्त के विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थित होने का कोई कथन नहीं किया गया है। यहां तक कि एस0के0 दुबे अ0सा0 5 जो प्र0पी0 10 के आवेदन पत्र में स्वयं उनके अनुसार जमाव का सदस्य न रहे श्री पी0एन0 भट्टे एवं अभियुक्त बल्ली उर्फ ब्रजेश का नाम लेख कराते हैं, वे अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्पष्टतः स्वीकार करते हैं कि प्र0पी0 10 के आवेदन में जिन लोगों के नाम लेख कराए हैं उनको वे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते। न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण में से भी किसी को वे नहीं पहचानते और न ही यह बताने में समर्थ हैं कि अभियुक्तगण घटना के समय मौजूद थे या नहीं। साक्षी एस0के0 दुबे अ0सा0 5 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 कथन किया है कि वे अनुपस्थित अभियुक्त रामनिवास एवं शैलेन्द्रसिंह नाम के व्यक्तियों को सामने आने पर भी नहीं पहचान सकते हैं। प्रकरण में अभियुक्तगण की पहचान यदि संदिग्ध अथवा प्रश्नचिन्हित की तो अनुसंधान में शिनाख्त कार्यवाही किया जाना आवश्यक थी, जो कि नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त ब्रजेश उर्फ बल्ली, नरेश, इज्जत खां तथा भूरे खां को भी देखकर उनके घटना के समय विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य होने के संबंध में पहचानने में अस्मर्थता व्यक्त की है जिससे अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता का तथ्य प्रश्न चिन्हित हो जाता है।

11. प्रकरण साक्षी एस0के0 दुबे अ0सा0 5 अपने अभिसाक्ष्य में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह बताने में अस्मर्थ है कि उन्होंने घटना दिनांक 17.04.10 के संबंध में प्र0पी0 10 का आवेदन पत्र थाना प्रभारी को दिनांक 21.04.10 को घटना के चार दिन बाद क्यों भेजा था। साक्षी का यह कथन भी सुसंगत है कि उसने गोहद अनुभाग में अनुविभागीय अधिकारी का पद अप्रैल 2010 में ग्रहण किया था ऐसे में साक्षी अभियुक्तगण को पहचानता हो, इसकी संभावना क्षीण हो जाती है। साक्षी द्वारा कण्डिका 2 में यह कथन किया गया है कि उन्होंने जिन व्यक्तियों के नाम लेख कराए थे वे किसके बताने पर लेख कराए थे उन्हें याद नहीं हैं। ऐसे में प्र0पी0 10 में उल्लेखित व्यक्तियों के नाम साक्षी द्वारा विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य के रूप में लेख कराने का कोई समुचित आधार स्पष्ट नहीं किया गया है। साथ ही प्र0पी0 10 में उल्लेखित व्यक्तियों में से एक अभियुक्त बल्ली उर्फ ब्रजेश तथा अन्य व्यक्ति श्री पी0एन0 भट्टे एड0 का नाम प्रथक किए जाने का आवेदन दिया जाना अभिकथित घटना में अभियुक्तगण की संलिप्तता व उनके विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहने के तथ्य को संदिग्ध कर देता है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि साक्षी एस0के0 दुबे, तत्समय अनुविभागीय दण्डाधिकारी

के पद पर पदस्थ थे ऐसे में उनके द्वारा घटना के संबंध में चार दिन बाद प्र0पी0 10 का आवेदन भेजा जाना संदिग्ध परिस्थिति को उत्पन्न करता है।

12. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 147, 506 भाग-1 के आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाए जाते हैं, अभियुक्त रामनिवास संदेह के आधार पर दोषमुक्ति के पात्र हैं। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 147, 506 भाग-1 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त की जमानत व मुचलके पूर्व से निरस्त हैं।

13. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

14. प्रकरण में कोई संपत्ति जब्त नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश